


सीगा कैविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या

100/2020 (G/CMS 2020/00262) M/s G I Industries Pvt. Ltd. having its registered Office #54, Ground Floor Home, Land Enclave, Opposite Lake No.3, Goniana Road, Bathinda, Tehsil and District Bathinda through its director Sh. Bishnu Kuman son of Shri Parkas Chand /Canara Bank, The Mall, Bathinda through its Branch Manager



13.11.2020

प्रार्थी अभिभाषक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अनवान् प्रकरण M/s G I Industries Pvt. Ltd. having its registered Office #54, Ground Floor Home, Land Enclave, Opposite Lake No.3, Goniana Road, Bathinda, Tehsil and District Bathinda through its director Sh. Bishnu Kuman son of Shri Parkas Chand Veruss Canara Bank, The Mall, Bathinda through its Branch Manager के प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट जम्मू के नाम से सम्बोधित कैविएट 148 ए सीपीसी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जबकि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण में कैविएट प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि उक्त कैविएट जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू के नाम से सम्बोधित है, जो संवहन से इस न्यायालय में पेश की गई प्रतीत होती है। इसलिए उक्त कैविएट पर इस न्यायालय द्वारा कोई विधि सम्मत् आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। इसलिए उक्त मूल कैविएट प्रार्थना पत्र प्रार्थी को सक्षम जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए लौटानी उचित होगी, ताकि वह नियमानुसार विचार कर सके। इस कैविएट प्रार्थना पत्र की एक फोटो प्रति पत्रावली में शामिल की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर